न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—105 / 2022

प्रार्थी::—

1. फौजाराम पुत्र छोगाराम
2. भूराराम पुत्र छोगाराम
3. हेमाराम पुत्र छोगाराम

जाति मेघवाल निवासी कल्याणसिंह की ढाणी इन्द्राणा तहसील सिवाना

—::बनाम::—

विप्रार्थी::—

1. तुलसाराम पुत्र रामाराम
2. थानाराम पुत्र रामाराम
3. नगाराम पुत्र रामाराम
4. स्व.प्रतापाराम पुत्र रामाराम के विधिक वारिसान

4/1 दुर्गाराम पुत्र प्रतापाराम

4/2 फोमाराम पुत्र प्रतापाराम

4/3 नारायणराम पुत्र प्रतापाराम

4/4 सोरकी पुत्री प्रतापाराम

4/5 ढपली पुत्री प्रतापाराम

5. पानी देवी पत्नी मोमताराम
6. बगसू देवी पुत्री भल्लाराम
7. विरमाराम पुत्र मोमताराम
8. वीरो देवी पत्नी भल्लाराम

   जाति मेघवाल निवासी कल्याणसिंह की ढाणी इन्द्राणा तहसील सिवाना
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री ललित जांगिड वकील प्रार्थीगण

2. श्री कैलाशपुरी वकील विप्रार्थीगण [illegible] 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.07 12:49:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांकः— 15.01.2024

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 1202 रकबा 1—1574 हैक्टेयर ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिण दिशा से लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि

ख.स. 1204 रकबा 1–2707 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करती हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 8 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1202 के लगते 1897/1201,1895/1200 व 1891/1199 प्रार्थीग्ण का खेत है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडती कृषि भूमियां आई हुई है जो लघुतम व निकटतम इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1202 से लगते खसरा संख्या 1962/1208 लघुतम एवं निकटतम रास्ता पहले से उपलब्ध है, जिससे वह कई वर्षो से आवागमन करता आ रहा है, किंतु उक्त अपेक्षाकृत लघु एवं निकट दूरी का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 को अनावश्यक रूप से परेशान करने हेतु उनके खातेदारी खेत में से रास्ते की मांग की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे ।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा कल्याणसिंह की ढाणी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.स. 1202 रकबा [illegible] हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की [illegible] रकबा 1–2707 की दक्षिण सीमा पर कदीमी रूप से प्रच[illegible] निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन [illegible]रता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल बिन्दू संख्या सी से डी को रास्ते घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.07 12:49:55 IST
Reason: Self Attested

प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 को देने हेतु सहमत है।

जबकि विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 के विद्वान वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के आवागमन के लिए प्रार्थीगण के सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1202 के लगते 1897/1201,1895/1200 व 1891/1199 प्रार्थीग्ण का खेत है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडती कृषि भूमियां आई हुई है जो लघुतम व निकटतम इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1202 से लगते खसरा संख्या 1962/1208 लघुतम एवं निकटतम रास्ता पहले से उपलब्ध है, जिससे वह कई वर्षो से आवागमन करता आ रहा है। मात्र विप्रार्थीगण सं. 1 से 8 को परेशान करने के लिए उनके खेत में से रास्ते की मांग की गई है, जो वैकल्पिक रास्ते की विद्यमानता के मद्देनजर काबिल खारिज है,

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। यद्यपि तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते पर बिन्दू संख्या ए से बी.पर वर्तमान में टांका बना हुआ है जिसे स्वीकार किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है व इसी खसरे के पूर्वी माठ पर मार्क सी से डी जिसकी लम्बाई 90 गट्ठा व चौडाई 2 गट्ठा नया रास्ता प्रस्तावित किया है तहसीलदार सिवाना द्वारा वैकल्पिक रूप से रास्ता बिन्दू संख्या पी से क्यू प्रस्तावित किया है परन्तु उक्त रास्ता कटाण रास्ता नहीं है और न ही इसके खातेदारो का पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त रास्ता की दूरी भी अधिक है। विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1897/1201,1895/1200 व 1891/1199 से लगते जिस भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रार्थीगण के आवागमन हेतु लघुतम व निकटतम रास्ता बताया है उक्त रास्ते पर भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग की दीवारे निर्मित होने के कारण वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1202 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 1204 मे से चाहा गया रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए लाल सी से डी रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। विप्रार्थीगण संख्या सं. 1 से 8 के प्रभावित खसरे की DLC दर 278919/– प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 90 गट्टा व चौडाई 2 गटटा रकबा 0–00729 हैक्टेयर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.07 12:49:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रभावित रकबे की डी.एल.सी की दुगनी राशि रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की दी जावे।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना की ख.सं. 1202 रकबा 1–1574 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 8 की खातेदारी भूमि खं.सं. 1204 रकबा 1–2707 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा की तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल सी से डी से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 90 गट्ठा, चौड़ाई 2 गट्ठा एवं रकबा 0–0726 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित रकबे की डी.एल.सी की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2023/103 दिनांक 17.01.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 15.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.07 12:49:55 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा

ग्राम - कल्याणसिंह की ढाणी

251 A रास्ता हेतु

प्रकरण सं.

संकेत

C से श तक नवीन प्रस्तावित रास्ता

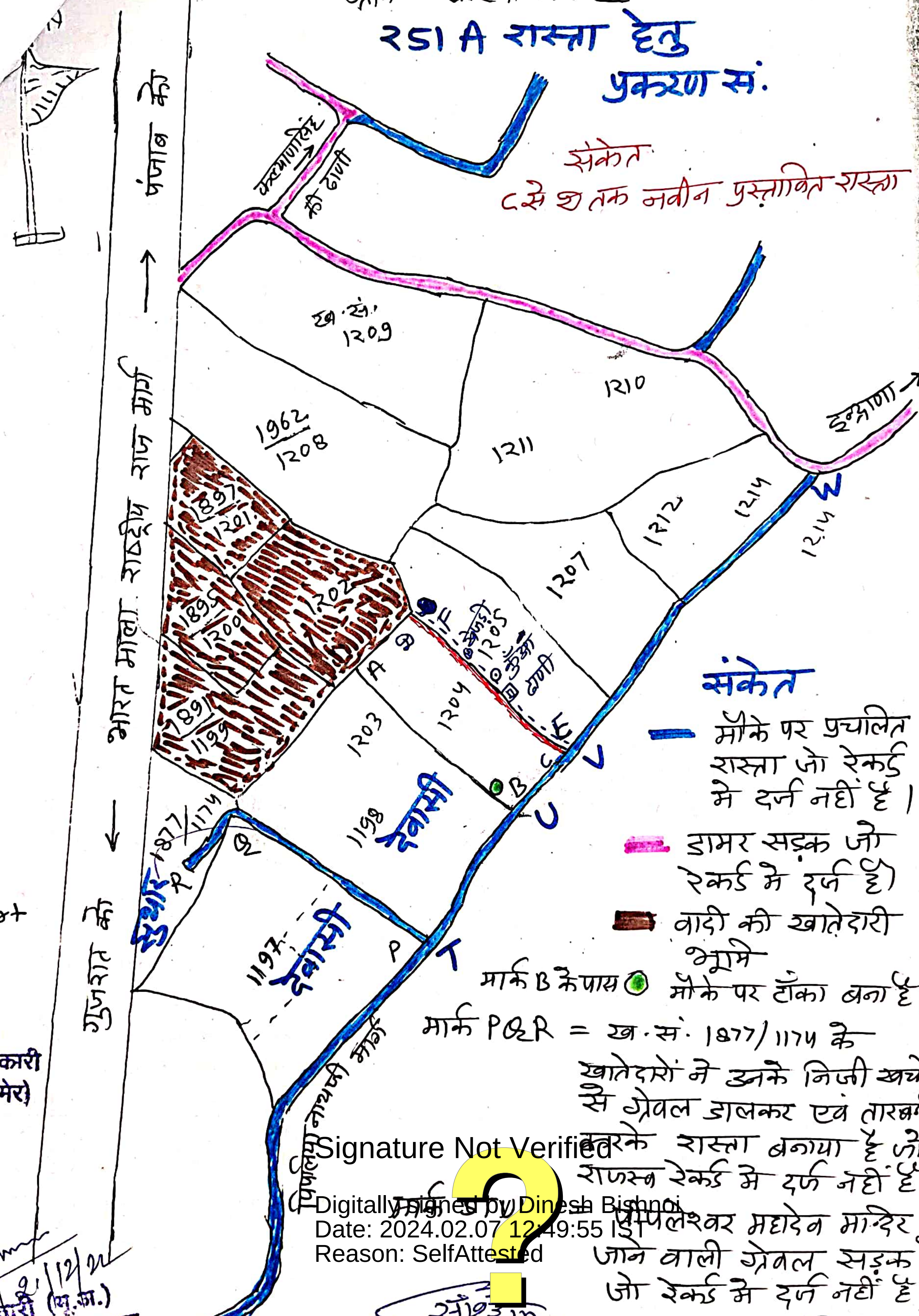

संकेत

मौके पर प्रचलित रास्ता जो रेकर्ड मे दर्ज नहीं है।

डामर सड़क जो रेकर्ड मे दर्ज है।

वादी की खातेदारी भूमि

मार्क B के पास मौके पर टांका बना है।

मार्क PQR = ख.सं. 1877/1174 के खातेदारों ने उनके निजी खर्चे से ग्रेवल डालकर एवं तारबन्दी करके रास्ता बनाया है जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं है।

मार्क ST = पिपलेश्वर महादेव मन्दिर जाने वाली ग्रेवल सड़क है जो रेकर्ड मे दर्ज नहीं है।

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

21/12/22
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल, इन्द्राणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.07 12:49:55 IST
Reason: SelfAttested

21.12.22
सीवलराम
निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना
तहसील-सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार सिवाना